न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 210/2022

1. हर्ष उम्र 11 वर्ष पुत्र महेन्द्र कुमार नाबालिग जरिये कुदरती बली माता प्रमिला पत्नी महेन्द्र कुमार जाति कुम्हार साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. कोमल उम्र 13 वर्ष पुत्री महेन्द्र कुमार नाबालिग जरिये कुदरती बलीं माता प्रमिला पत्नी महेन्द्र कुमार जाति कुम्हार साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. समरदेव उम्र 5 वर्ष पुत्र महेन्द्र कुमार नाबालिग जरिये कुदरती बली माता प्रमिला पत्नी महेन्द्र कुमार जाति कुम्हार साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थीगण

बनाम

1. कमला देवी पत्नी स्व. मनीराम जाति कुम्हार साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।
2. महेन्द्र कुमार पुत्र मनीराम जाति कुम्हार साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. प्रेमकुमार पुत्र मनीराम जाति कुम्हार साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।
4. महावीर कुमार पुत्र मनीराम जाति कुम्हार साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।
5. सन्तोष उर्फ पुनम पुत्री मनीराम जाति कुम्हार साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।
6. रजनी माता शारदा पुत्री मनीराम जाति कुम्हार साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।
7. सुनीता माता शारदा पुत्री मनीराम जाति कुम्हार साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ ।

अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हीरालाल बिरथलिया — प्रार्थीगण
2. श्री महेन्द्र सैन — अप्रार्थी सं. 1,2,4 व 5
3. श्री जगराज सिंह भारी —अप्रार्थी संख्या 6 व 7
4. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा। — अप्रार्थी सं. 8

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 17:16:05 IST
Reason: SelfAttested

दिनांकः– 24/2/25

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया हे। प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रकार से है–यह कि उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय मे पेश हो चुका है प्रार्थी को कामयाबी की पूर्ण संभावना है । प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे है।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Scanned with OKEN Scanner

यह कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य है जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ से शासित होते है तथा परस्पर सहदायिकी एवं सहअंशदायी है। इस हिन्दु संयुक्त परिवार के कर्ता प्रार्थीगण के पडदादा श्री जसराम थे। जहां तक प्रार्थना पत्र का संबंध है सजरा खानदान प्रस्तुत किया गया है।

यह कि प्रार्थीगण के दादा स्व. मनीराम पुत्र जसराम के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 21 पीबीएन के खाता सं. 149 के प.नं. 9/331 के किला नं. 9 ता 12, 19 ता 22 कुल 1.910 हैक. अ.क. व खाता सं. 150 के प.नं. 9/331 के किला नं. 8/1, 13, 18, 23 कुल 0.898 हैक. अ.क. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। चित्रप्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थीगण के दादा स्व. मनीराम पुत्र जसराम के नाम से संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 12 एसटीबी–ए के खाता सं. 47 के प.नं. 11/325, 11/326, 12/326, 13/328 कुल 11.423 हैक. नहरी अ.क. म.गै.मु. मे से 1/3 हिस्सा मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। चित्रप्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3–4 में दादा श्री मनीराम के नाम वर्णित कृषि भूमि पूर्व में प्रार्थीगण के पडदादा श्री जसराम के नाम से दर्ज राजस्व अभिलेख थी। पडदादा श्री जसराम के देहान्त के पश्चात वादग्रस्त रकबा प्रार्थीगण के दादा श्री मनीराम को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थीगण की सहदायिक एवं सहअंशदायी पैतृक कृषि भूमि है जिसमे प्रार्थीगण का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित हो चुका है। प्रार्थीगण के दादा श्री मनीराम द्वारा अपने जीवनकाल मे ही वादग्रस्त कृषि भूमि का घरा घरू बंटवारा अपने जीवनकाल मे कर दिया और घरू बंटवारा के समय अप्रार्थी सं. 1, 5 ता 7 ने अपना अपना हक व हिस्सा अप्रार्थी सं. 2 ता 4 के हक मे ब.हि.ब. मौखिक रूप से त्याग कर दिया तथा अप्रार्थी सं. 1 व श्री मनीराम के भरण पोषण एवं जीवन यापन की समस्त जिम्मेवारी अप्रार्थी सं. 2 ता 4 को प्राप्त हुई। दादा श्री मनीराम का अपने समस्त पौत्र के साथ हार्दिक स्नेह एवं प्यार रहा है तथा दादा श्री मनीराम परिवार के कर्ता होने के कारण अपने तीनो पुत्रों के मध्य अच्छी मंदी व काश्त की सहुलियत के हिसाब से घरा घरू बंटवारा करके प्रत्येक को 1/3–1/3 हिस्सा दे दिया और उसी हिस्सानुसार दादा श्री मनीराम ने कब्जा अप्रार्थी सं. 2 ता 4 को सुपुर्द कर दिया। दादा श्री मनीराम के देहान्त के पश्चात अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थीगण के साथ रिहायस करके सुखी जीवन यापन कर रही है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3–4 मे दादा श्री मनीराम के नाम वर्णित कृषि भूमि मे अप्रार्थी सं. 2 का 1/3 हिस्सा का हक व हिस्सा बनता है जिसमे प्रार्थीगण का अप्रार्थी सं. 1 के 1/3 हिस्सा मे से 1/2 हिस्सा का हक व हिस्सा बनता है लेकिन वादग्रस्त रकबा दादा श्री मनीराम के नाम से दर्ज है जिससे प्रार्थीगण की हकूक खातेदारी पर विपरित असर पड़ता है और प्रार्थीगण के नाम से कृषि भूमि दर्ज नही होने से प्रार्थीगण को राजकीय सुविधायें प्राप्त करने मे भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है इसलिए प्रार्थना पत्र की दफा 3–4 मे प्रार्थीगण के दादा श्री मनीराम के नाम वर्णित कृषि भूमि मे से प्रार्थीगण 1/6 हिस्सा ब.हि.ब. की घोषणा करवाने के अधिकारी है जो कि घोषित किया जाकर वाद वादीगण निर्णय व डिक्री किया जावे।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3–4 मे दादा श्री मनीराम के नाम वर्णित कृषि भूमि मे प्रार्थीगण का 1/6 हिस्सा का हक व हिस्सा बनता है जिसकी प्रार्थीगण अच्छी मंदी व काश्त की सहुलियत के हिसाब से कृषि भू[illegible] से अलग करवाने के अधिकारी हैं।

यह कि प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 2 से अलग अप्रार्थी [illegible] के साथ रिहायस करते है। प्रार्थीगण को अप्रार्थी सं. 1 के हक व हिस्सा की कृषि भूमि वर्तमान मे घरू बंटवारा मे जीवनयापन एवं खर्चा गुजारा हेतू दे रखी है और उसी से प्रार्थीगण भी अपना खर्चा गुजारा करते है। अप्रार्थी सं. 2 ता 4 एक राय है तथा प्रार्थीगण के हक व हिस्सा की कृषि भूमि को हर प्रकार से किसी न किसी तथाकथित दस्तावेजों के आधार पर सम्पूर्ण भूमि अपने नाम से

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 17:16:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Scanned with OKEN Scanner

करवाने पर आमादा है। यदि अप्रार्थीगण अपने इन मनसुबों में कामयाब हो जाते हैं तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय व अपरिमय क्षति होगी। प्रार्थीगण के पास उक्त कृषि भूमि के अलावा अन्य आय का कोई स्त्रोत नही है तथा प्रार्थीगण नाबालिग है और खर्चा गुजारा एवं शिक्षा इत्यादि से हाथ धोना पड़ सकता है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे है। इसलिए उक्त तत्कालिक परिस्थितियों को देखते हुये अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आश्य की जारी की जावे निस्तारण वाद वादग्रस्त रकबा के मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा रकबा को किसी प्रकार से रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल नही करे तथा प्रार्थीगण के अधिकारो के विरूद्ध कोई दस्तावेज तहरीर व तस्दीक करवाने से ममनू व बाज रहे अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आश्य की जारी की जावे कि ता निस्तारण वाद प्रार्थीगण के दादा श्री मनीराम के नाम वर्णित चक 21 पीबीएन के खाता सं. 149 के प.नं. 9/331 के किला नं. 9 ता 12, 19 ता 22 कुल 1.910 हैक. अ.क. व खाता सं. 150 के प.नं. 9/331 के किला नं. 8/1, 13, 18, 23 कुल 0.898 हैक. व चक 12 एसटीबी–ए के खाता सं. 47 के प.नं. 11/325, 11/326, 12/326, 13/328 कुल 11. 423 हैक. मे से 1/3 हिस्सा के मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा रकबा को किसी प्रकार से रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल नही करे तथा प्रार्थीगण के अधिकारो के विरूद्ध कोई दस्तावेज तहरीर व तस्दीक करवाने से ममनू व बाज रहे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद सरिस्ता रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 6 व 7 की ओर से श्री जगराज सिंह भारी अधिवक्ता की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत है शामिल वाद पत्र है। अप्रार्थी संख्या 1, 2,4 व 5 की ओर से श्री महेन्द्र सिंह सैन अधिवक्त की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया शामिल वाद है। जबाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 6, 7 की और से प्रस्तुत है शामिल पत्रावली है जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 6 व 7 निम्न प्रकार से है –यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में उक्त अनवान का बाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश हो चुका है परन्तु उसमें प्रार्थीगण को कामयाबी की कोई सम्भावना नही है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 सजरा खानदान से सम्बधिंत है जो कि अस्वीकार हैं। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में जसराम की पत्नी गोमती देवी को नही दर्शाया है। मनीराम के नाम वर्णित कृषि भूमि में उसकी माता गोमती देवी का भी हक व हिस्सा है। प्रार्थीगण ने गोमती देवी को पक्षकार नही बनाया है व ना ही सजरा खानदान में नाम दर्शाया है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 में वर्णित कथन मनगढ़त, अविधिक व असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 3, 4 में वर्णित कृषि भूमि मिन अप्रार्थीगण के नाना मनीराम पुत्र जसराम के नाम दर्ज रिकार्ड है। मनीराम का स्वर्गवास हो चुका है। जिसके वारीस मनीराम की माता गोमती देबी, पत्नी कमला देवी, प्रेमकुमार – महेन्द्र कुमार महावीर कुमार पुत्र व संतोष उर्फ पूनम – शारदा पुत्रीयां इस प्रकार कुल 7 वारीस है। मिन अप्रार्थीगण की माता शारदा पुत्री मनीराम है जिनका स्वर्गवास हो चुका है। मनीराम के नाम वर्णित कृषि भूमि में मिन अप्रार्थीगण की माता शारदा का 117 हिस्सा मुताबिक वारीसान के बनता है जो मिन अप्रार्थीगण प्राप्त करने की हकदार है। उक्त भूमि बाबत पक्षकारान के मध्य कभी कोई घरू बंटवारा नही हुआ है व ना ही किसी पक्षकार ने अपना हिस्सा किसी के पक्ष में छोड़ा है। प्रार्थीगण द्वारा महज तथ्यो को रंगत देने के लिये झूठे व मिथ्या कथन अकिंत किये है। प्रार्थीगण के पिता महेन्द्र कुमार का मनीराम के नाम वर्णित कृषि भूमि में 1/7 हिस्सा बनता है जिनमें प्रार्थीगण का 3/4 हिस्सा [illegible] प्रार्थीगण प्राप्त करने के हकदार है शेष तथ्य अस्वीकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 17:16:05 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा [illegible] होने से अस्वीकार है। मनीराम के नाम वर्णित कृषि भूमि [illegible] का 1/7 हिस्सा बनता है। प्रार्थीगण ने अपने पिता महेन्द्र कुमार का 1/3 हिस्सा दर्शाया है जो कि गलत रूप से दर्शाया गया है। उक्त मनीराम के नाम वर्णित कृषि भूमि में महेन्द्र कुमार का 1/7 हिस्सा बनता है जिसमें प्रार्थीगण का 3/4 हिस्सा बनता है जो प्रार्थीगण प्राप्त करने के हकदार है। प्रार्थीगण

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Scanned with OKEN Scanner

ने अपने हिस्सा से अधिक भूमि की खातेदारी घोषणा चाही है जो वे प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है ।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 कतई अविधिक, असत्य व मनगढ़त होने से अस्वीकार है। मनीराम के नाम वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थीगण के पिता महेन्द्र कुमार का 1/7 हिस्सा बनता है जिसमें प्रार्थीगण का 3/4 हिस्सा बनता है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 8 कतई अविधिक, असत्य व मनगढ़त होने से अस्वीकार है। मनीराम के नाम वर्णित कृषि भूमि में मनीराम के प्रत्येक का वारीस का 1/7 – 1/7 हिस्सा बनता है। मनीराम के नाम वर्णित कृषि भूमि में मिन अप्रार्थीगण की माता शारदा का 1/7 हिस्सा बनता है। मिन अप्रार्थीगण की माता शारदा का स्वर्गवास हो चुका है। शारदा को प्राप्त होने वाला 117 हिस्सा मिन अप्रार्थीगण प्राप्त करने के हकदार है। उक्त भूमि बाबत पक्षकारान का कभी कोई घरू बंटवारा नही हुआ है ना ही प्रार्थीगण को किसी प्रकार की कृषि भूमि घरू बंटवारा में दी गई है। प्रार्थीगण ने महज तथ्यो को रंगत देने के लिये झूठे व मिथ्या कथन अकिंत किये है। प्रार्थीगण जो कि अपने पिता अप्रार्थी सं.2 के साथ ही रहते है व अप्रार्थी सं.2 की उनकी देखभाल, शिक्षा आदि का खर्च वहन करता है। प्रार्थीगण द्वारा तमाम तथ्य मनगढ़त व अकिंत किये गये है। प्रार्थीगण को किसी प्रकार का नुकसान नही हो रहा है व ना ही अपरिमेय व अपूर्णीय क्षति हो रही है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर मिन अप्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है।

अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

जबाव प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 2 व 4 की ओर से निम्न प्रकार से है यह कि प्रार्थना पत्र की दफा । मे प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय मे वाद प्रस्तुत किया जाना स्वीकार है लेकिन प्रार्थीगण को उक्त वाद मे किसी प्रकार से कोई भी कामयाबी हासिल होने के संभावना नही है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 के सजरा खानदान प्रार्थीगण की दादी गोमती देवी जो कि जीवित है को सजरा खानदान मे नही दर्शाया गया है और ना ही पक्षकार बनाया गया है। चूंकि मुताबिक हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम पिता स्व. मनीराम की माता गोमती प्रथम वारिसान सदस्य है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 इस हद तक स्वीकार है कि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थीगण के दादा श्री जसराम के नाम से दर्ज रिकॉर्ड थी। दादा श्री जसराम के देहान्त के बाद मिन अप्रार्थीगण के पिता मनीराम को प्राप्त हुई जो कि सहदायिक एवं सहअंशदायी भूमि के रूप मे है। वादग्रस्त कृषि भूमि का प्रार्थीगण के पिता मनीराम के जीवनकाल मे एक घरा घरू बंटवारा हुआ और घरा घरू बंटवारा परिवार के रिश्तेदार व गांव के मौजिज व्यक्तियों द्वारा करवाया गया। वर वक्त राजीनामा सर्वप्रथम मिन अप्रार्थीगण की दोनो बहनों द्वारा अपना हक व हिस्सा मिन अप्रार्थीगण व मिन अप्रार्थी के भाई प्रेमकुमार के पक्ष मे संयुक्त रूप से त्याग दिया तथा अपना–अपना हक व हिस्सा अपने विवाह के समय बतौर सप्रेम भेंट, स्त्री धन, जेवरात व घरेलू सामान के रूप मे प्राप्त करना स्वीकार किया और दोनो बहनों के भात/मायरा भरने की जिम्मेवारी भी हम तीनो द्वारा संयुक्त रूप से ली गई। प्रार्थीगण के पिता, माता, पिता व दादी के भरण पोषण, जीवन [illegible] समस्त जिम्मेवारी मिन अप्रार्थीगण व मिन अप्रार्थीगण के भाई मिन प्रेम कुमार [illegible] रूप से ली गई, तत्पश्चात मिन अप्रार्थीगण व प्र.सं. 3 प्रत्येक को [illegible] हक व हिस्सा अनुसार अप्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 3 [illegible]

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 इस हद तक स्वीकार है कि अप्रार्थी सं. 2 का मुताबिक घरू बंटवारा अनुसार 1/3 हिस्सा का हक व हिस्सा बनता है [illegible]र उसी अनुसार अप्रार्थी सं. 2 काबिज काश्त है। प्रार्थीगण अपने पिता के जीवनकाल मे किसी प्रकार से हक व हिस्सा प्राप्त नही कर सकते चूंकि संयुक्त हिन्दु परिवार के बंटवारा अनुसार वादग्रस्त रकबा अभी मिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 17:16:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थीगण के पिता के नाम से दर्ज राजस्व अभिलेख है। अप्रार्थीगण की माता व दादी भी जीवित है जिनके भरण पोषण, दवाई, ईलाज, देखरेख इत्यादि की जिम्मेवारी अप्रार्थीगण द्वारा घरू बंटवारा के समय संयुक्त रूप से ली हुई है। इसलिए मिन अप्रार्थी सं. 2 के नाम से 1/3 हिस्सा राजस्व अभिलेख मे दर्ज होने के पश्चात प्रार्थीगण अपना हक व हिस्सा पैतृक कृषि भूमि मे से प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 मुताबिक घरू बंटवारा एवं हक व हिस्सानुसार अप्रार्थीगण अच्छी मंदी व कब्जा काश्त अनुसार कब्जा है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 8 अस्वीकार है। कुछ माह पूर्व ही अप्रार्थीगण सहमति एवं रजामन्दी से अलग–अलग रिहायस हुये है। प्रार्थीगण भी सहमति से ही अलग रिहायस हुये है। चूंकि वादग्रस्त रकबा अभी अप्रार्थीया के पिता के नाम से दर्ज राजस्व अभिलेख है इसलिए प्रार्थीगण वर्तमान मे किसी प्रकार से हक व हिस्सा की मांग नही कर सकते है । वादग्रस्त रकबा का कब्जा अप्रार्थीगणं के पास बिना किसी विवाद के शांतिपूर्वक तरीके से चला आ रहा है। प्रार्थीगण को अप्रार्थी सं. 2 के द्वारा भरण पोषण एवं जीवन यापन हेतू ठेका राशि दी जा रही है इसलिए प्रार्थीगण को किसी प्रकार से अपूर्णीय व अपरिमय क्षति नही हो रही है। मात्र तथ्यों को रंगत देने के लिए झूठे एवं मनगढ़त कथन अंकित किये है। प्रार्थीगण अपने हक व हिस्सा तक अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय से प्राप्त कर सकते ळें अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उनके हक व हिस्सानुसार की हद तक अस्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जावे।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया कि 15 बीघा पैत्रक कृषि भूमि हैप्रार्थीगण के हक हिस्सों की सुरक्षित रखने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैसला कंफर्म की जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 6 व 7 की ओर से बहस में कथन किया गया कि अनुतोष गलत है। प्रार्थीगण केवल नामान्तरकरण रोकने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 4 ने बहस में कथन किया कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन के बाद पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभ्य पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टांतो को ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण इस लिए स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योंकि प्रार्थीगण परिवार के सहदायिकी सदस्य है। प्रार्थीगण नाबालिग है जिसके हितो की रक्षा करना नितातं आवश्यक है। प्रश्नगत रकबा में हकों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है हकों के संबंध में उभय पक्ष द्वारा मूल वाद में प्रभावी पैरवी की जा सकती है स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनर्फम किए जाने से किसी पक्ष को नुकसान नहीं है। बल्कि उभय पक्षों के मध्य आगे विवाद नहीं बढने में सहायक ही है। राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर विवेचन स्वरूप दिनांक 16.08.2022 को जारी स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनफर्म किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। यह आदेश आज दिनांक 24/4/25...... सरे ईजलास पढ़कर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

(अमिता बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 17:16:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner